मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

2101
क्रमांक / 2830 / 2018 / 50–2 / (ए.एन.) / ..... भोपाल, दिनांक 12 / 09 / 2018

प्रति,

1 समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश.
2 समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश
3 समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत (म.प्र.)
4 समस्त संभागीय संयुक्त संचालक महिला एवं बाल विकास (म.प्र.)
5 समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास (म.प्र.)
6 समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व–मध्यप्रदेश.
7 समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत (म.प्र.)
8 समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास (म.प्र.)

**विषयः– प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित आंगनवाड़ी / उप आंगनवाड़ी केन्द्रों के 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों को पूरक पोषण आहार के प्रदाय के संबंध में निर्देश।**

**संदर्भः– 1. मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग का आदेश क्र / एफ3–2 / 09 / 50–2, दिनांक 01.10.2009**

**2. मध्यप्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास विभाग का आदेश क्र. / एफ 4–5 / 14,दिनांक 24.02.2014**

––0––

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित समस्त आंगनवाडी / उप आंगनवाडी केन्द्र के 03 वर्ष से 06 वर्ष तक के बच्चों को पूरक पोषण आहार प्रदाय करने के संबंध में नवीन निर्देश निम्नानुसार जारी किए जाते हैं। माह सितम्बर 2018 से आगामी आदेश तक इन नवीन निर्देशों के अनुरूप पूरक पोषण आहार प्रदाय की व्यवस्था सुनिश्चित की जावेगी।

**1. <u>पूरक पोषण आहार व्यवस्था :–</u>**

1.1 प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत ग्रामीण–आदिवासी परियोजनाओं / ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित आंगनवाडी / उप आंगनवाडी केन्द्रों पर गर्म ताजा पका हुआ नाश्ता एवं भोजन (पूरक पोषण आहार) वितरण की व्यवस्था **"सांझा चूल्हा कार्यक्रम"** के तहत् पूर्ववत् पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित किये जा रहे मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत गठित महिला स्व–सहायता समूहों के माध्यम से यथावत् लागू रहेगी।

1.1.1 आंगनवाडी / उप आंगनवाडी केन्द्रों में पूरक पोषण आहार का प्रदाय मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत प्रदाय कर रहे महिला स्व–सहायता समूहों के माध्यम से किया जायेगा, जिसके लिये स्व–सहायता समूह, परियोजना अधिकारी तथा सरपंच के मध्य अनुबंध किया जावेगा। अनुबंध

100/– रूपये के स्टाम्प पेपर पर किया जावेगा जिस हेतु राशि की व्यवस्था स्व–सहायता समूह द्वारा वहन की जावेगी। अनुबंध का प्रारूप **(परिशिष्ट–01)** पर संलग्न है।

1.1.2 **स्व–सहायता समूह का चयन एवं अपेक्षाएं :–**

- वे महिला स्व–सहायता समूह जो मध्यान्ह भोजन के अंतर्गत कार्य कर रहे है, वे ही समूह पोषण आहार प्रदाय का कार्य करेंगे। समूहों का चयन पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग के मध्यान्ह भोजन योजना हेतु जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप होगा।
- किसी भी स्थिति में भोजन क्रियान्वयन का कार्य स्व–सहायता समूह के अलावा अन्य किसी को नहीं दिया जावेगा। कार्यरत् स्व–सहायता समूहों को यथासंभव एक वर्ष से पहले नहीं हटाया जायेगा। यदि समूह बदलने जैसी स्थिति उत्पन्न होती है तो समूह बदलने के लिये पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा समय–समय पर मध्यान्ह भोजन के लिये जारी दिशा–निर्देशों के अध्याधीन कार्यवाही की जावेगी।
- पोषण आहार व्यवस्था से जुड़े समूह में शासकीय/अर्द्ध शासकीय अधिकारी–कर्मचारी/आंगनवाडी कार्यकर्त्ता/सहायिका तथा पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत पदाधिकारी शामिल नहीं होंगे।
- समूह द्वारा अनियमितता पाये जाने पर बकाया राशि की वसूली मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की जावेगी।
- आंगनवाडी कार्यकर्त्ता द्वारा प्रत्येक माह के प्रारंभ में स्व–सहायता समूह को गत माह के हितग्राहियों की औसत दैनिक उपस्थिति की संख्या लिखित में अवगत कराई जावेगी। तदानुसार स्व–सहायता समूह द्वारा आवश्यक मात्रा में ताजा पका हुआ नाश्ता/भोजन तैयार किया जावेगा।
- नाश्ता/भोजन पकाने तथा आंगनवाडी/उप आंगनवाडी केन्द्र तक वितरण की संपूर्ण प्रक्रिया के सफल नियोजन का दायित्व समूह/सदस्यों का होगा, परंतु वे निम्न पहलुओं का विशेष ध्यान रखेंगे:–
  - ✓ प्रदत्त खाद्यान्न, क्रय की गई मिश्रण सामग्री तथा ईंधन का समुचित तथा सुरक्षित भंडारण व रखरखाव करना।
  - ✓ स्वच्छता व शुद्धता संबंधी सभी पहलुओं का ध्यान रखकर भोजन पकाना।
  - ✓ भोजन पकाने के पूर्व मिश्रण जैसे दाल, सब्जी इत्यादि को धोकर साफ करना।
  - ✓ भोजन पकाने के स्थल की साफ–सफाई करना।
  - ✓ स्वच्छ पेयजल की शुद्धता व स्वच्छता सुनिश्चित करना।
  - ✓ भोजन पकाने व वितरण के बर्तनों की नियमित साफ–सफाई व स्वचछता।

2. **सामग्री की दरों का निर्धारण :–**

जिला कलेक्टर्स की अध्यक्षता में पूर्व में गठित समिति, जिसमें जिला कलेक्टर के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, जिला कोषालय अधिकारी एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास को शामिल किया गया है, के द्वारा आंगनवाडी/उप आंगनवाडी केन्द्रों में प्रदाय की जाने वाली सामग्री की दर का निर्धारण कॉस्टप्लस फॉमूले के आधार पर किया

जायेगा। निर्धारित की जाने वाली दर मे पूरक पोषण आहार प्रदाय पर होने वाले समस्त व्यय शामिल होंगे। उपरोक्त सभी मदों को शामिल करने के पश्चात् पूरक पोषण आहार हेतु निर्धारित दर की सीमा प्रति हितग्राही, प्रतिदिन निर्धारित मापदंडों से अधिक नहीं होना चाहिये।

3. **अभिलेख का संधारणः–**

- बी,पी,एल,गेहूँ/चावल/कच्ची सामग्री के उठाव व वितरण का स्टॉक रजिस्टर।
- भोजन पकाने हेतु उपयोग किये गये खाद्यान्न मिश्रण सामग्री तथा ईंधन सामग्री का दिनांक वार वितरण संधारण हेतु पत्रक।
- कैश बुक/बिल वाउचर।
- दैनिक पावती कार्ड।
- बर्तन इत्यादि के लिये स्टॉक रजिस्टर का संधारण।

उपरोक्तानुसार अभिलेखों के संधारण में आंगनवाडी कार्यकर्त्ता स्व सहायता समूहों को सहायता करेंगे तथा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पंजियों के प्रारूप स्व सहायता समूह को उपलब्ध कराये जावेंगे।

4. **पूरक पोषण आहार हेतु निर्धारित दर एवं मापदंड :–**

समस्त आंगनवाड़ी/उप आंगनवाड़ी केन्द्रों में 03 वर्ष से 06 वर्ष के बच्चों को पूरक पोषण आहार में सुबह का नाश्ता तथा दोपहर में भोजन दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त गंभीर कुपोषित बच्चों (अतिकम वजन) को थर्डमील भी प्रदाय किया जाएगा। पूरक पोषण आहार की व्यवस्था निम्नानुसार होगीः–

4.1 राज्य शासन के पत्र क्रमांक एफ 3–3/2018/50–2 भोपाल, दिनांक 28.03.2018 के द्वारा पूरक पोषण आहार की दर में की गई वृद्धि तथा पूरक पोषण आहार के लिए मानक निम्नानुसार होंगेः–

| हितग्राही | प्रचलित दर (नाश्ते एवं भोजन हेतु) | पुनरीक्षित दर (नाश्ते एवं भोजन हेतु) | उपलब्ध कराई जाने वाली प्रोटीन मात्रा | उपलब्ध कराई जाने वाली कैलोरी की मात्रा |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| बच्चे (06 माह से 06 वर्ष तक) | रु.6.00 प्रति बच्चा प्रतिदिन | रु.8.00 प्रति बच्चा प्रतिदिन | 12–15 ग्राम | 500 कैलोरी |
| गंभीर कुपोषित बच्चे (06 माह से 06 वर्ष तक) | रु.9.00 प्रति बच्चा प्रतिदिन | रु.12.00 प्रति बच्चा प्रतिदिन | 20–25 ग्राम | 800 कैलोरी |
| गर्भवती/धात्री माताएं | रु.7.00 प्रति महिला प्रतिदिन | रु.9.50 प्रति महिला प्रतिदिन | 18–20 ग्राम | 600कैलोरी |

4.2 पूरक पोषण आहार के माध्यम से बच्चों को घर में प्राप्त होने वाले आहार के अतिरिक्त उपरोक्तानुसार प्रतिदिन कैलोरी/प्रोटीन की मात्रा उपलब्ध कराई जाए। पूरक पोषण आहार के माध्यम से बच्चों को घर में प्राप्त होने वाले आहार के अतिरिक्त उपरोक्तानुसार कैलोरी/प्रोटीन की मात्रा प्रतिदिन उपलब्ध कराई जाएः–

a. चयनित समूह/सस्था आगनवाड़ी/उप आगनवाड़ी केन्द्र पर तीन समय भोजन यथा सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, थर्ड मील देने के लिए उत्तरदायी होंगें। इसी व्यवस्था के अन्तर्गत प्रत्येक मंगलवार को 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों को नाश्ता एवं भोजन तथा गर्भवती/धात्री माताओं को दोपहर का भोजन चयनित संस्था के माध्यम से दिया जाए।

b. नाश्ते में यथासंभव ताजा गरम आहार ही दिया जाएगा, यदि किसी कारण से गरम आहार देने में कठिनाई आती है तब कलेक्टर के अनुमोदन से रेडी–टू–ईट नाश्ते एवं भोजन के लिए अन्य वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकेगी, जो प्रथमतः उस आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए नियत चयनित समूह/संस्था के माध्यम से ही लागू की जा सकेगी, यह चयनित समूह/संस्था यदि निर्देशानुसार आहार प्रदाय करने में असफल रहती है तब कलेक्टर की अनुमति से चयनित समूह/संस्था में परिवर्तन किया जा सकेगा।

c. प्रत्येक आंगनवाड़ी/उप आंगनवाडी केन्द्र पर सामान्यतः सुबह का नाश्ता एवं दोपहर का भोजन संलग्न मेनू **(परिशिष्ट–02 व विस्तृत परिशिष्ट–03)** अनुसार एवं उल्लेखित रैसिपी अनुसार ही होगा। आंगनवाड़ी/उप आंगनवाडी केन्द्रों में प्रदत्त किये जाने वाला पूरक पोषण आहार रुचिकर व स्वादिष्ट एवं सुलभता से वितरण योग्य हो, इस हेतु मेनू में विविधता रखना होगी, जिसका निर्धारण स्थानीय स्तर पर कलेक्टर के अनुमोदन से संलग्न मेनू अनुरूप सुझाई गई रैसिपी में से किया जा सकेगा।

- सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, थर्ड मील के लिये **परिशिष्ट–02** अनुसार उपलब्ध कराये गये विकल्प पूर्णतः सांकेतिक हैं। इस संबंध में खाद्य सामग्री की स्थानीय उपलब्धता एवं रोटी के स्थान पर चावल आदि के उपयोग के संबंध में जिला कलेक्टर द्वारा निर्णय लिया जाकर पूरक पोषण आहार प्रदाय हेतु व्यवस्था की जा सकेगी।
- यह ध्यान रखा जाए कि दोपहर के भोजन के मेनु अनुसार तैयार रैसिपीज में छोटे बच्चों को दिए जाने वाले भोजन के अनुरूप मिर्च मसाले की मात्रा इन बच्चों की आयु के अनुसार ही उपयोग की जाए। भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता एवं सुपाच्यता का विशेष ध्यान रखा जाए।

d. गंभीर कुपोषित बच्चे (अतिकम वजन के बच्चों) के लिए थर्ड मील की व्यवस्था हेतु निम्न बिन्दुओं पर विशेष ध्यान रखा जाएः–

- 06 माह से 06 वर्ष के गंभीर कुपोषित बच्चों (अतिकम वजन के बच्चों) को 20–25 ग्राम प्रोटीन तथा 800 कैलोरीज प्रतिदिन प्रति हितग्राही दी जाना निर्धारित है। ऐसे बच्चों को नाश्ते व भोजन की प्रचलित व्यवस्था अंतर्गत प्राप्त होने वाले प्रोटीन एवं कैलोरीज़ की कमी की प्रतिपूर्ति थर्ड मील द्वारा की जावेगी।
- 06 माह से 03 वर्ष के गंभीर कुपोषित बच्चों (अतिकम वजन के बच्चों) को आंगनवाड़ी/उप आंगनवाडी केन्द्रों पर प्रतिदिन उपस्थित रहकर पूरक पोषण आहार प्राप्त करने की अनिवार्यता नही है, किन्तु बच्चों के पोषण प्रबंधन हेतु यदि इस आयु वर्ग के बच्चे आंगनवाड़ी/उप आंगनवाडी केन्द्रों पर सुलभता से उपस्थित रह सकते हैं, तो इन बच्चों को आंगनवाड़ी/उप आंगनवाडी केन्द्रों पर आंगनवाडी कार्यकर्त्ता/सहायिका/ मिनी आंगनवाडी कार्यकर्त्ता की निगरानी में थर्ड मील (पूरक पोषण आहार) प्रतिदिन खिलाया जाए। यह व्यवस्था बच्चे के श्रेणी सुधार होने तक करने के प्रयास किये जाएं। जहां यह संभव नहीं हो पाता है, वहां 06 माह से

03 वर्ष के गंभीर कुपोषित बच्चों (अतिकम वजन के बच्चों) को टिफिन के रूप में भी थर्ड मील दिया जा सकता है।

- 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों को प्रतिदिन थर्ड मील अपरान्ह 3.30 से 4.00 बजे के मध्य दिया जावे। यह थर्ड मील बच्चों को टिफिन के रूप में भी दिया जा सकता है।
- 03 वर्ष से 06 वर्ष तक के बच्चों को अतिरिक्त आहार के रूप में एक दिन नाश्ते के मेनू अनुसार एवं एक दिन दोपहर के भोजन के मेनू अनुसार थर्ड मील उपलब्ध कराया जाए।
- इसके अतिरिक्त जिला कलेक्टर स्थानीय परिस्थिति एवं हितग्राहियों की रुचि अनुसार व हितग्राहियों के आयु वर्ग के अनुरूप रेडी टू ईट थर्ड मील के रूप में, **परिशिष्ट–02** पर संलग्न रैसिपीज़ के विकल्प में से भी थर्ड मील प्रदाय कर सकते हैं।

e. प्रत्येक मंगलवार को आयोजित होने वाले मंगल दिवसों के दौरान टेकहोम राशन लेने आने वाली गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं को दोपहर का भोजन एवं 06 माह से 03 वर्ष तक के बच्चों को सुबह का नाश्ता एवं दोपहर का भोजन, आंगनवाडी/उप आंगनवाडी केन्द्रों पर पूरक पोषण आहार प्रदाय करने वाले चयनित स्व–सहायता समूहों के माध्यम से ही प्रदाय किया जाए। इस दिन आंगनवाडी/उप आंगनवाडी केन्द्रों पर प्रदाय होने वाले नाश्ते एवं भोजन में 06 माह से 03 वर्ष तक के बच्चों के अनुकूल एवं सुपाच्य खाद्यान्न का प्रदाय सुनिश्चित किया जाए।

f. यदि बच्चों के लिए भोजन ले जाने वाला बर्तन उपलब्ध नहीं है तो कलेक्टर के माध्यम से इस प्रकार के बर्तन की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी। यह बर्तन उन्हीं आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए होंगे, जिनके किचन उनके परिसर से अधिक दूरी पर है। इस बर्तन पर आंगनवाड़ी केन्द्र भोजन बड़े अक्षरों में साफ तरीके से लिखा जाएगा।

g. नाश्ता, दोपहर के भोजन के अवयव तथा मात्रा का विवरण परिशिष्ट–03 के अनुरूप होगा।

h. स्व–सहायता समूह द्वारा दिए जाने वाले नाश्ता/भोजन/थर्ड मील की व्यवस्था संबंधी प्रावधान निम्नानुसार होंगे :–

| क्रं | लक्ष्य समूह | भोजन | समय | दर | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 3 से 6 वर्ष तक के आंगनवाड़ी में दर्ज बच्चे | नाश्ता | प्रातः 9:30 से 10:30 के मध्य | रूपए 3/– प्रति बच्चा प्रति दिवस | मेनू परिशिष्ट –03 अनुसार **सप्ताह में 6 दिन।** |
| | | भोजन | अपरान्ह 12.30 से 1:30 के | रू. 5/–प्रति बच्चा प्रति दिवस | |
| 2. | 6 माह से 03 वर्ष के बच्चे | नाश्ता | प्रातः 9:30 से 10:30 के मध्य | रू. 3/–प्रति बच्चा प्रति दिवस | मेनू परिशिष्ट–03 अनुसार सप्ताह में एक दिन **मंगलवार को।** |
| | | भोजन | अपरान्ह 12.30 से 1:30 के | रू. 5/–प्रति बच्चा प्रति दिवस | |
| 3. | 6 माह से 6 वर्ष के आंगनवाड़ी में दर्ज अति कम वजन के बच्चे | थर्ड मील | अपरान्ह 12.30 से 1.30 के मध्य | रू. 4/– प्रति बच्चा प्रति दिवस | सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार दोपहर का भोजन तथा मंगलवार, गुरूवार एवं शनिवार को नाश्ता मेनू परिशिष्ट –03 में दिए अनुसार दिया जाएगा। |

| क्रं | लक्ष्य समूह | भोजन | समय | दर | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. | गर्भवती/धात्री माता | भोजन | अपरान्ह 12.30 से 1:30 के मध्य | रू. 9.50/– प्रति महिला प्रति दिवस | मेनू परिशिष्ट–03 अनुसार सप्ताह में एक दिन **मंगलवार को** । |

उपरोक्तानुसार व्यवस्था अंतर्गत प्रतिदिन परिशिष्ट–02 अनुसार आंगनवाड़ी/उप आंगनवाड़ी केन्द्र पर तीन समय यथा सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, थर्ड मील दिया जाये तथा प्रत्येक मंगलवार को 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों को नाश्ता एवं भोजन तथा गर्भवती/धात्री माताओं को दोपहर का भोजन दिया जाये। इस प्रकार प्रदाय होने वाले नाश्ता, भोजन एवं थर्ड मील के वितरण में निम्न निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावें :–

- ✓ 03 से 06 वर्ष के बच्चों हेतु नाश्ता एवं भोजन मिलाकर न्युनतम 12 से 15 प्रोटीन एवं 500 कैलोरी प्रतिदिन प्रदाय की जावे।
- ✓ 06 माह से 03 वर्ष तक के बच्चों को **प्रत्येक मंगलवार** को नाश्ता एवं भोजन मिलाकर 12 से 15 प्रोटीन एवं 500 कैलोरी प्रदाय की जावे।
- ✓ महिलाओं को **प्रत्येक मंगलवार** को केवल भोजन में न्यूनतम 18 से 20 प्रोटीन एवं 600 कैलोरी प्रदाय की जावे।
- ✓ शहरी क्षेत्र में यथासंभव माह में 02 बार खीर–पुडी प्रदाय की जावे एवं माह के शेष मंगलवार को भोजन के रूप में हलीमा अथवा साप्ताहिक रैसिपीज में से कोई एक रैसिपी स्थानीय सुरूचि के दृष्टिगत कलेक्टर के अनुमोदन से प्रदाय की जावे।
- ✓ 06 माह से 06 वर्ष के गंभीर कुपोषित बच्चों (अतिकम वजन) को सभी निर्धारित मील मिलाकर 20–25 ग्राम प्रोटीन तथा 800 कैलोरी प्रतिदिन प्रति हितग्राही प्रदाय किया जावे।
- ✓ नाश्ता, भोजन एवं थर्ड मील के लिये चयनित रैसिपीज में शासन द्वारा बी.पी.एल. दर पर प्रदायित गेहूँ एवं चावल का उपयोग किया जावें।

## 5. <u>पूरक पोषण आहार निर्माण एवं वितरण की व्यवस्था</u> :–

5.1 स्व–सहायता समूह को पूरक पोषण आहार बनाने के लिए गेहूँ एवं चावल नजदीकी उस उचित मूल्य की दुकान से उपलब्ध कराया जाएगा, जो एम.डी.एम. के पोर्टल पर संबंधित आंगनवाडी केन्द्र एवं स्व–सहायता समूह से लिंक की गई हो। स्व–सहायता समूहों को पूर्ववत् खाद्यान्न उचित मूल्य दुकान से निःशुल्क उपलब्ध कराया जावेगा।

5.2 स्व–सहायता समूह मेनू अनुसार भोजन पकाने के लिये कच्ची खाद्य सामग्री, ईधन आदि का क्रय स्वतः करेंगे। यह स्व–सहायता समूह का दायित्व होगा कि वे स्वच्छ, शुद्ध गुणवत्तापूर्ण सामग्री का क्रय कर इसका सुरक्षित भंडारण करें ।

5.3 भोजन पकाने के लिए निम्न बिन्दुओं का विशेष ध्यान रखा जाएः–

- मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड के प्रदाय केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में, डबल फोर्टीफाईड (आयोडीन+आयरनयुक्त) नमक एवं फोर्टीफाइड खाद्य तेल का ही उपयोग किया जाएं।
- एगमार्क वाले सीलबंद पैकेट वाले मसालों का ही इस्तेमाल किया जाएं।
- दालों व दलहनों की शुद्धता व गुणवत्ता जॉचने के उपरान्त ही क्रय किया जाएं।
- ताजी एवं हरी सब्जियों का ही उपयोग किया जाएं।
- पकाने के लिए स्वच्छ पेयजल का उपयोग किया जाएं।

- पकाने वाले स्थान एव बतनो पर साफ–सफाइ का विशेष ध्यान रखा जाए।
- खाने में मिर्च, मसाले का प्रयोग कम आयु के बच्चों (03–06 वर्ष) के अनुरूप रखा जाएं।
- मंगलवार के दिन एवं अन्य दिन अतिकम वजन के 06 माह से 03 वर्ष के बच्चों के लिए उपयुक्त सुपाच्य भोजन बनाया जाएं।
- भोजन स्वादिष्ट एवं पूरी तरह से पका हुआ हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाएं ।
- दाल एवं सब्जी की मात्रा में किसी भी प्रकार का समझौता न किया जाएं ।
- रैसिपी के स्वाद अनुकूल मुनगे की फली एवं पत्तों का यथासंभव अधिक से अधिक उपयोग करने के प्रयास किये जाएं।
- भोजन में स्वाद एवं पौष्टिकता की दृष्टि से यथासंभव विभिन्न प्रकार की चटनी का प्रदाय करने के प्रयास किये जाएं।

5.4 स्व–सहायता समूह द्वारा तीनों पूरक पोषण आहार आंगनवाड़ी/उप आंगनवाडी केन्द्रों स्थल पर प्रदाय किये जाएंगे। स्व–सहायता समूह द्वारा पूरक पोषण आहार का प्रदाय केवल स्टील के बर्तनों में ही किया जायें, किसी भी स्थिति में प्लास्टिक के बर्तनों में पूरक पोषण आहार का प्रदाय/भंडारण नही किया जावें। प्रदाय करते समय उन्हें प्रचलित व्यवस्थानुसार भोजन पत्रक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को देना होगा, जिस पर कार्यकर्ता समय, मात्रा एवं भोजन घटक अंकित करेंगी ।

5.5 तीनों पूरक पोषण आहार आंगनवाड़ी केन्द्र स्थल पर प्रदाय किये जाऐंगे। प्रदाय करते समय उन्हें भोजन पत्रक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को देना होगा, जिसपर कार्यकर्ता समय, मात्रा एवं भोजन घटक अंकित करेंगी ।

5.6 आंगनवाडी केन्द्र पर पूरक पोषण आहार की प्राप्ति आंगनवाडी कार्यकर्त्ता/सहायिका द्वारा केवल स्टील के बर्तनों में ही की जावें, किसी भी स्थिति में प्लास्टिक के बर्तनों में पूरक पोषण आहार की प्राप्ति/भंडारण नही किया जावें। प्रत्येक स्व–सहायता समूह को प्रति माह एक भोजन पत्रक दिया जाएगा जिसमें आंगनवाडी कार्यकर्ता प्रत्येक मील को प्राप्त करते समय उसकी प्राप्ति का समय, मात्रा एवम् गुणवत्ता का उल्लेख कर हस्ताक्षर करेगी। माह के अंत में इस भोजन पत्रक को स्व सहायता समूह बिल के साथ परियोजना अधिकारी को जमा करेंगी। भोजन पत्रक का प्रारूप **परिशिष्ट–04** में संलग्न है।

5.7 आंगनवाडी केन्द्र में हितग्राहियों को तीनों पूरक पोषण आहार वितरण की पूर्ण जिम्मेदारी आंगनवाडी कार्यकर्ता तथा सहायिका की होगी। जहां 06 माह से 03 वर्ष तक के अति कम वजन के बच्चे आंगनवाड़ी केन्द्र में नहीं आ रहे है, वहां उन्हें टिफिन के माध्यम से थर्ड मील आंगनवाड़ी सहायिका द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें यथासंभव समुदाय विशेषकर ग्राम स्वास्थ्य समिति, पोषण मित्र तथा किशोरी बालिकाओं का सहयोग भी लिया जाएगा ।

5.8 एक किलोमीटर से अधिक दूरी वाले आंगनवाडी केन्द्रों हेतु पृथक् किचन की व्यवस्था संबंधित स्व–सहायता समूह द्वारा की जावेगी। यदि संबंधित स्व सहायता समूह द्वारा अतिरिक्त किचन हेतु लिखित में असहमति दी जाती है तो अन्य स्थानीय समूह द्वारा यह व्यवस्था कलेक्टर की अनुमति से की जा सकेगी।

5.9 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा प्रत्येक सोमवार को स्व–सहायता समूह को गत सप्ताह के हितग्राहियों की औसत दैनिक उपस्थिति की संख्या लिखित में अवगत कराई जायेगी, तदानुसार स्व–सहायता समूह द्वारा आवश्यक मात्रा में ताजा पका हुआ भोजन तैयार किया जावेगा।

6. **खाद्यान्न का आवंटन, उठाव तथा परिवहन :–**

6.1 भारत सरकार द्वारा एकजाई रूप से निर्धारित दर पर खाद्यान्न राज्य सरकार को जारी किया जाता है। भारत सरकार से प्राप्त खाद्यान्न के आधार पर संचालनालय महिला एवं बाल विकास द्वारा विभागीय एमआईएस में आंगनवाड़ी केन्द्रवार दर्ज उपस्थिति के आधार पर (अन्यथा स्थिति में औसतन) आंगनवाड़ी केन्द्रवार एवं स्व सहायता समूहवार खाद्यान्न (गेहूं/चावल) का मासिक पुर्नआबंटन एनआईसी के माध्यम से एमडीएम पोर्टल पर खाद्यान्न (गेहूं/चावल) के पुर्नआबंटन हेतु बनाये गये एम.आई.एस. से ऑनलाईन जारी किया जाएगा, जिसकी सूचना सर्वसंबंधित अधिकारियों को एवं मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉपोरेशन को भी प्रदाय की जाएगी।

- प्रत्येक आबंटित माह के लिये उपरोक्तानुसार खाद्यान्न (गेहूं/चावल) का मासिक आबंटन विगत माह की 10 तारीख तक एनआईसी से ऑनलाईन जारी किया जाना होगा। इस हेतु संचालनालय महिला एवं बाल विकास से नियत दिनांक के पूर्व वांछित माह के लिये खाद्यान्न (गेहूं/चावल) जारी करने हेतु आंगनवाडी केन्द्रवार/स्व–सहायता समूहवार आवश्यक जानकारी/डाटा एनआईसी को उपलब्ध कराया जाएगा। महिला एवं बाल विकास से प्राप्त जानकारी अनुसार एन.आई.सी. द्वारा मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉपोरेशन को वांछित माह के लिये खाद्यान्न आबंटन जारी किया जाएगा तदानुसार मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉपोरेशन वांछित माह के लिये आवश्यक खाद्यान्न की व्यवस्था विगत माह के अंतिम दिवस तक पूर्ण करना सुनिश्चित करेगा।
- उपरोक्तानुसार जारी खाद्यान्न (गेहूं/चावल) आबंटन की मात्रा अनुरूप संबंधित जिला कार्यक्रम अधिकारी आंगनवाडी केन्द्रवार/स्व–सहायता समूहवार उपलब्ध कराए गए आबंटन की समीक्षा कर सकेंगे एवं मांग के अनुपात में खाद्यान्न आबंटन कम अथवा अधिक पाए जाने पर संचालनालय, महिला एवं बाल विकास को औचित्यपरक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। किसी भी स्थिति में स्व सहायता समूह को खाद्यान्न का अधिक आबंटन जारी न हो, यह सुनिश्चित करना जिला कार्यक्रम अधिकारी की जवाबदेही होगी ।
- उपरोक्तानुसार जारी ऑनलाईन खाद्यान्न व्यवस्था के अनुरूप वांछित माह के प्रथम दिवस से अंतिम दिवस तक आंगनवाडी केन्द्रवार/स्व–सहायता समूहवार जारी खाद्यान्न संबंधित उचित मूल्य की दुकान से स्व–सहायता समूहों के उठाव हेतु उपलब्ध रहेगा।

6.2 उक्त मासिक आवंटन के प्राप्त होने के उपरान्त जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र के लिये केन्द्रवार प्राप्त खाद्यान्न (गेहूं/चावल) के उठाव हेतु, उपरोक्तानुसार ऑनलाईन प्राप्त कम्प्यूट्रीकृत मासिक आवंटन की सूचना संबंधित परियोजना अधिकारी एवं स्व–सहायता समूह को दी जाएगी।

- एन.आई.सी. के माध्यम से जारी ऑनलाईन खाद्यान्न (गेहूं/चावल) आबंटन के आधार पर मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉपोरेशन द्वारा आबंटन अनुसार प्रत्येक उचित मूल्य दुकान हेतु वांछित खाद्यान्न (गेहूं/ चावल) की मात्रा की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।
- यदि उक्त प्रक्रिया के क्रियान्वयन में कोई कठिनाई आती है, तो संबंधित जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा संचालनालय, महिला एवं बाल विकास से एवं स्थानीय स्तर पर मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन से चर्चा कर मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉपोरेशन के जिला स्तरीय गोदाम से खाद्यान्न उठाव कराये जाने के प्रयास कर कठिनाई का निराकरण किया जाए।

- एनआइसी के माध्यम से खाद्यान्न आबटन की ऑनलाइन प्रक्रिया के प्रभावी एवं व्यवस्थित क्रियान्वयन के लिये यह आवश्यक है कि जिलों/परियोजनाओं द्वारा इस व्यवस्था के लिये एनआईसी में एम.डी.एम के पोर्टल पर तैयार किये गये सॉफ्टवेयर में त्रुटिरहित जानकारी/डाटा उपलब्ध कराया जाए। अतः स्व–सहायता समूह की आंगनवाडी केन्द्र से एवं आंगनवाडी केन्द्र की संबंधित एसएचजी से त्रुटिरहित मैपिंग एवं प्रतिमाह महिला एवं बाल विकास के विभागीय एमआईएस में पोषण आहार के वांछित/लाभान्वित हितग्राहियों, की जानकारी अद्यतन करने का दायित्व जिला कार्यक्रम अधिकारी/ परियोजना अधिकारी का होगा।
- परियोजना अधिकारी प्रतिमाह देयक के साथ–साथ यह जानकारी भी जिला कार्यक्रम अधिकारी को उपलब्ध कराऐंगे कि स्व–सहायता समूह द्वारा माह में उपलब्ध कराऐं गए पूरक पोषण आहार के विभिन्न मील के अनुपात में कितना खाद्यान्न स्व–सहायता समूह के पास अवशेष है।

6.3 स्व–सहायता समूह द्वारा जारी मासिक आबंटन से उठाव हेतु शेष रहे खाद्यान्न के पश्चात् अवशेष रहे खाद्यान्न का समायोजन आगामी माह की मांग से करने के उपरान्त ही एनआईसी द्वारा आगामी मासिक आवंटन पत्र जारी किया जाएगा।

6.4 भारत सरकार/राज्य सरकार से अग्रिम आवंटन प्राप्त होने में विलम्ब की स्थिति में जिला कलेक्टर अन्य योजनाओं के स्कन्ध को पूरक पोषण आहार हेतु उपलब्ध कराएंगें। वे आवंटन प्राप्त होने पर उक्त खाद्यान्न की मात्रा का समायोजन करेंगे। इसका आशय केवल यह है कि खाद्यान्न के अभाव में पूरक पोषण आहार कार्यक्रम का क्रियान्वयन प्रभावित न हो।

6.5 किसी परिस्थितिवश उचित मूल्य की दुकानों पर पूरक पोषण आहार का स्कन्ध उपलब्ध नहीं है, तो वे अन्य योजनाओं के स्कन्ध से खाद्यान्न उपलब्ध कराऐंगे ताकि खाद्यान्न के अभाव में पूरक पोषण आहार का वितरण प्रभावित न हो। खाद्य, नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय द्वारा जारी आदेश क्र. 2429/खा/सा.वि.प्र./01,दिनांक 01.04.2005 की कंडिका–02 में भी यह स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि यदि किसी विशेष योजना के अन्तर्गत स्कन्ध उपलब्ध नहीं है और किसी अन्य योजना के अन्तर्गत स्कंध उपलब्ध है तो उस योजना के हितग्राही को खाद्यान्न वितरित करने से इन्कार नहीं किया जाएगा।

6.6 यह भी ध्यान देने योग्य है कि स्व–सहायता समूह को बार–बार उचित मूल्य दुकान पर आना न पड़े इसीलिए उन्हें यह खाद्यान्न यथासंभव एक बार में ही प्रदाय कर दिया जाए। इससे अनावश्यक समय, श्रम एवं परिवहन का दोहराव नहीं होगा।

6.7 खाद्यान्न का परिवहन जिला स्तर पर माध्यान्ह भोजन के अनुरूप लागू व्यवस्था अनुसार किया जाएगा। उचित मूल्य दुकान तक भंडारण की व्यवस्था नागरिक आपूर्ति निगम के द्वारा की जावेगी।

6.8 उचित मूल्य की दुकान से सांझा चूल्हा की रसोई स्तर तक परिवहन स्व–सहायता समूह द्वारा किया जाएगा, जिसका परिवहन शुल्क स्व–सहायता समूहों को दिये जाने वाली राशि में सम्मिलित है।

6.9 स्व–सहायता समूह को उचित मूल्य की दुकान से निःशुल्क खाद्यान्न उठाव अंकित करने हेतु मासिक आवंटन पत्र की प्रति जिला कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

## 7. खाद्यान्न एवं परिवहन व्यय की प्रतिपूर्ति :–

7.1 खाद्यान्न की राशि नागरिक आपूर्ति निगम को विभाग द्वारा अग्रिम के तौर पर मासिक आवंटन पत्र के साथ दी जाएगी। आगामी माह में नीचे दी गई व्यवस्था के अनुसार इसका समायोजन किया जाएगा। आशय यह है कि नागरिक आपूर्ति निगम के पास सदैव मासिक अग्रिम बना रहेगा।

7.2 पूरक पोषण आहार हेतु प्रयोग किए गए खाद्यान्न एवं परिवहन के देयक क्लेम निम्न प्रक्रिया अनुसार प्रस्तुत किये जाऐंगेः–

- खाद्यान्न आपूर्ति के लिए कलेक्टर के अनुमोदन के उपरांत आवश्यक वांछित राशि सीधे शाखा प्रबन्धक नागरिक आपूर्ति निगम को जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्रदान की जाएगी। इसका स्पष्ट आशय यह है कि मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम की भांति ही पूरक पोषण आहार का खाद्यान्न उचित मूल्य दुकान द्वारा निःशुल्क स्व–सहायता समूह को उपलब्ध कराया जाएगा।
- जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा नागरिक आपूर्ति निगम को आवंटित मात्रा एवं राशि का पूर्ण विवरण निर्धारित पंजी में संधारित किया जावेगा। नागरिक आपूर्ति निगम को आवंटित खाद्यान्न की मात्रा एवं राशि का समायोजन मासिक रूप से अनिवार्यतः किया जावेंगा, ताकि किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता की स्थिति निर्मित न हो।
- चूँकि उचित मूल्य की दुकान से स्व–सहायता समूह द्वारा किए गए उठाव की जानकारी तो प्राप्त की जा रही है, किन्तु उनके द्वारा उपयोग किए गए खाद्यान्न का अलग से हिसाब नहीं रखा जा रहा है। अतएव स्व–सहायता समूह पूरक पोषण आहार पत्रक में यह जानकारी भी ली जाएगी कि स्व–सहायता समूह द्वारा कितना खाद्यान्न उस माह प्रयोग किया गया है। इस आधार पर जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्रत्येक स्व–सहायता समूह को जारी खाद्यान्न की मात्रा से उपयोग की मात्रा का मिलान किया जाएगा एवं तदानुसार खाद्यान्न के समायोजन हेतु जानकारी संचालनालय को उपलब्ध कराई जाएगी।

## 8. वित्तीय प्रावधान एवं पैनाल्टी :–

8.1 प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र के ईधन, परिवहन एवं प्रबंधन के लिए स्व–सहायता समूह को रू. 500/– प्रतिमाह दिया जाएगा। किन्तु उन्हें इस राशि की प्राप्ति के लिए नियमित रूप से नाश्ता, दोपहर का भोजन, अतिकम वजन के बच्चों को थर्ड मील तथा मंगलवार को गर्भवती महिला, धात्री माता एवं 06 माह से 03 वर्ष तक के बच्चों को निर्धारित समय में दिया जाना होगा। यह राशि प्रति हितग्राही प्रति दिवस की निर्धारित दर में शामिल रहेगी ।

8.2 स्व–सहायता समूह यथासंभव एक पृथक रसोईये को आंगनवाड़ी केन्द्र हेतु नामांकित करेंगा, जिसे रु. 500/– प्रतिमाह की परिश्रामिक राशि दी जाएगी। जहां यह संभव नहीं है वहां मध्यान्ह भोजन योजना के रसोईये को ही नामांकित किया जा सकेगा। यह राशि मध्यान्ह भोजन के अनुरूप जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा सीधे रसोईये के खाते में भेजी जाएगी, किन्तु रसोईये का भी यह दायित्व होगा कि वह नियमित रूप से सही मात्रा एवं गुणवत्ता का भोजन प्रदाय करें। यह राशि प्रति हितग्राही प्रति दिवस की निर्धारित दर में शामिल रहेगी।

8.3 आगनवाड़ी/उप आगनवाडी केन्द्रो मे प्रदाय की जाने वाली नाश्ते (रेडी टू इट/ताजा गर्म) एव भोजन (ताजा गर्म) की दर का निर्धारण "कास्टप्लस फार्मूले" के आधार पर किया जावे। निर्धारित की जाने वाली दर में नाश्ते एवं भोजन प्रदाय व्यवस्था पर होने वाले समस्त व्यय (निर्माण+कच्चीसामग्री+गेहूं/चावल+परिवहन+पारिश्रमिक+प्रबन्धकीयव्यय+लाभांश+रसोईया+ईंधन + एमएमईइत्यादि) शामिल रहेगी। उपरोक्त सभी मदों को शामिल करने के पश्चात् पूरक पोषण आहार हेतु निर्धारित की जाने वाली दर की सीमा प्रति बच्चा प्रति दिवस **कंडिका 4.1** में उल्लेखित तालिका में दर्शाए गए प्रावधानों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

8.4 पूरक पोषण आहार के वितरण में देरी, मात्रा एवं गुणवत्ता की कमी पाई जाने पर स्व–सहायता समूह को दी जाने वाली राशि में से निम्नानुसार कटौत्रे किए जाएंगे :–

| क. | कटोत्रा कारक | दर प्रति मील | मद |
|---|---|---|---|
| 1. | देरी | रू. 10.00 | स्व सहायता समूह के ईधन, परिवहन एवं प्रबंधकीय व्यय |
| | | रू. 10.00 | रसोईये का पारिश्रमिक |
| | | रू. 10.00 | भोजन कच्चा माल सामग्री |
| 2. | मात्रा | रू. 10.00 | स्व सहायता समूह के ईधन, परिवहन एवं प्रबंधकीय व्यय |
| | | रू. 10.00 | रसोईये का पारिश्रमिक |
| | | आनुपातिक दर | भोजन कच्चा माल सामग्री में उस भोजन के लिए प्रतिहितग्राही निर्धारित दर |
| 3. | गुणवत्ता | रू. 10.00 | स्व सहायता समूह के ईधन, परिवहन एवं प्रबंधकीय व्यय |
| | | रू. 10.00 | रसोईये का पारिश्रमिक |
| | | रू. 50.00 | भोजन कच्चा माल सामग्री |
| 4. | थर्ड मील न देने पर | रू. 50.00 | स्व सहायता समूह के ईधन, परिवहन एवं प्रबंधकीय व्यय |
| | | रू. 50.00 | रसोईये का पारिश्रमिक |
| | | आनुपातिक दर | भोजन कच्चा माल सामग्री में उस भोजन के लिए प्रतिहितग्राही निर्धारित दर |

8.5 कटोत्रे की व्यवस्था एडहॉक न हो इसीलिए निम्न व्यवस्था अपनाई जाएगी :–

- प्रत्येक मील प्रदाय करते समय स्व–सहायता समूह पूरक पोषण आहार में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के हस्ताक्षर लेगा। इसका विवरण आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रतिदिन पंजी में भी दर्ज करेगी।
- यह पत्रक देयक के रूप में स्व–सहायता समूह द्वारा परियोजना कार्यालय में जमा किया जाएगा। इस जानकारी के आधार पर कम्प्यूट्रीकृत देयक परियोजना अधिकारी द्वारा जमा किया जाएगा, जिसमें जानकारी भरी जाएगी, जिसमें प्रत्येक परियोजना को जानकारी कम्प्यूटरीकृत करने हेतु रू. 10/– प्रति आंगनवाड़ी प्रति माह की राशि प्रदाय की जाएगी ।
- यदि किसी समूह में निरंतर तीन माह तक राशि का कटौत्रा देरी, मात्रा अथवा गुणवत्ता के कारण कटोत्रा रू. 500/–प्रतिमाह से अधिक होता है, तो उस समूह को एक नोटिस देकर अवसर दिया जाएगा, सुधार न होने पर कलेक्टर के अनुमोदन से बदलने की कार्यवाही की जाएगी।

- कटोत्रे के संबंध में स्व–सहायता समूह प्रथम अभ्यावेदन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं परियोजना बाल विकास अधिकारी की समिति को 15 दिवस में देगा, जिसका निराकरण 15 दिवस में किया जाएगा ।
- इस अभ्यावेदन की अपील जिला स्तर पर कलेक्टर के समकक्ष की जा सकेंगी।

8.6 संचालनालय, महिला बाल विकास द्वारा पोषण आहार की राशि हेतु जिलेवार बजट आवंटन जिला कार्यक्रम अधिकारी को मासिक रूप से दिया जाएगा। प्रचलित व्यवस्था अनुसार राशि का कोषालय से आहरण, लेखा संधारण एवं अन्य प्रशासकीय दायित्वों का निर्वहन जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा ही किया जावेगा। भुगतान की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :–

8.5.1 प्रत्येक मील प्रदाय करते समय प्रतिदिन स्व–सहायता समूह पूरक पोषण आहार निर्धारित पत्रक में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के हस्ताक्षर लेगा। इसका विवरण आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रतिदिन पंजी में भी दर्ज करेगी।

8.5.2 आंगनवाडी कार्यकर्ता प्रतिदिन स्व सहायता समूह द्वारा प्रदाय किये गये नाश्ते एवं भोजन की, हितग्राही संख्या की जानकारी मासिक रूप से संकलित कर संलग्न निर्धारित पत्रक में तैयार करेगी। उक्त पत्रक पर स्व–सहायता समूह के अध्यक्ष अथवा सचिव के हस्ताक्षर अनिवार्यतः लेगी। स्व–सहायता समूह के अध्यक्ष/सचिव द्वारा हस्ताक्षर नही किये जाने की स्थिति में आंगनवाडी कार्यकर्ता द्वारा इस आशय का रिमार्क अंकित करेगी कि उनके द्वारा हस्ताक्षर करने से मना किया गया है।

8.5.3 यह पत्रक देयक के रूप में आंगनवाडी कार्यकर्ता द्वारा सेक्टर पर्यवेक्षक को प्रतिमाह उपलब्ध करायेगी। सेक्टर पर्यवेक्षक उसके परिक्षेत्र के सभी केन्द्रों की जानकारी का पत्रक एकत्रित कर परीक्षण उपरान्त, अनुशंसा सहित परियोजना कार्यालय में जमा करेगी। इस पत्रक के आधार पर कम्प्यूटीकृत देयक परियोजना अधिकारी द्वारा तैयार किया जाएगा।

8.5.4 पूरक पोषण आहार वितरण में देरी,मात्रा एवं गुणवत्ता की कमी पाये जाने तथा गेहूँ/चावल की राशि के समायोजन एवं अन्य कारणों से स्व–सहायता समूह को प्रस्तावित कटोत्रे करने के उपरांत परियोजना अधिकारी द्वारा राशि का भुगतान स्व–सहायता समूह को करने हेतु जिला कार्यक्रम अधिकारी को प्रेषित किया जावेगा।

8.5.5 जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रचलित व्यवस्था अनुसार जिला कलेक्टर से सक्षम स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त देयक मय समूह के बैंक खाते क्र एवं राशि के विवरण सहित कोषालय में प्रस्तुत करेगें। कोषालय से राशि स्व–सहायता समूह के खाते में सीधे जमा की जावेगी।

8.5.6 ग्रामीण क्षेत्र में रसोईये को राशि सीधे खाते में जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्रचलित व्यवस्था अनुसार दी जाएगी ।

8.5.7 जिला कार्यक्रम अधिकारी एकीकृत बाल विकास सेवा प्रचलित व्यवस्था अनुसार राशि का कोषालय से आहरण, लेखा संधारण एवं अन्य प्रशासकीय दायित्वों का निर्वहन किया जावेगा। भुगतान की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :–

| क्र | कार्यवाही | समय सीमा | दायित्व | रिमार्क |
|---|---|---|---|---|
| 1 | स्व–सहायता समूह | प्रत्येक मील के उपरान्त् | आंगनवाड़ी कार्यकर्ता | प्रत्येक मील प्रदाय करते समय प्रतिदिन स्व–सहायता समूह पूरक पोषण आहार निर्धारित पत्रक में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के हस्ताक्षर लेगा। इसका विवरण आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रतिदिन पंजी में भी दर्ज करेगी। |
| 2 | आंगनवाड़ी कार्यकर्ता | प्रत्येक माह की 03 तारीख तक | सेक्टर पर्यवेक्षक | आंगनवाडी कार्यकर्ता द्वारा प्रतिदिन स्व सहायता समूह द्वारा प्रदाय नाश्ता/भोजन की संकलित जानकारी निर्धारित पत्रक में तैयार करेंगी तथा पत्रक पर स्व सहायता समूह के अनिवार्यतः हस्ताक्षर करायेगी। इस पत्रक को प्रतिमाह सेक्टर पर्यवेक्षक को उपलब्ध करायेगी। |
| 3 | सेक्टर पर्यवेक्षक | प्रत्येक माह की 05 तारीख तक | परियोजना अधिकारी | सेक्टर पर्यवेक्षक द्वारा परिक्षेत्र के समस्त केन्द्रों की जानकारी एकत्रित कर परीक्षण उपरान्त अनुशंसा सहित पत्रक परियोजना अधिकारी को प्रतिमाह उपलब्ध करायेगी। |
| 4 | परियोजना अधिकारी | प्रत्येक माह की 08 तारीख | जिला कार्यक्रम अधिकारी | माह की 05 से 08 तारीख तक परियोजना अधिकारी द्वारा कम्प्यूटरजनित पत्रक तथा देयक तैयार किया जाएगा। उक्त कम्प्यूटरजनित देयक परियोजना अधिकारी द्वारा माह की 08 तारीख तक जिला कार्यक्रम अधिकारी को भुगतान के लिए प्रस्तुत करेंगे। |
| 5 | जिला कार्यक्रम अधिकारी | प्रत्येक माह की 15 तारीख | स्व सहायता समूह | जिला कार्यक्रम अधिकारी परियोजनावार देयक, भुगतान की अनुमति हेतु कलेक्टर को प्रस्तुत करेंगे। कलेक्टर से अनुमोदन होने के उपरांत कोषालय में देयक प्रस्तुत किए जाऐंगे। प्रत्येक माह की 15 तारीख तक स्व–सहायता समूह/रसोईये के खाते में राशि सीधे बैंक के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। |
| 6 | संभागीय संयुक्त संचालक | प्रतिमाह | | संभागीय संयुक्त संचालक संभाग के अंतर्गत किस–किस परियोजना में कितने आंगनवाड़ी केन्द्रों के स्व–सहायता समूह के देयकों का भुगतान हो गया है, कितने देयको का भुगतान शेष है की समीक्षा करेगे। लंबित रहने वाले देयको की समीक्षा कर भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार शीघ्र पूर्ण करावेंगे। |

8.5.8 जिला स्तर पर स्व–सहायता समूह द्वारा प्रदाय किए जा रहे पूरक पोषण आहार वितरण व्यवस्था एवं देयकों के भुगतान की नियमित रूप से प्रतिमाह समीक्षा कर निम्न निर्देशों का पालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

8.5.9 स्व–सहायता समूहो को जिला स्तर से कड़े निदेश दिये जावे एव यह सुनिश्चित किया जावे कि स्व–सहायता समूहों द्वारा आंगनवाडी केन्द्रों में सुबह का नाश्ता एवं दोपहर का भोजन गुणवत्तायुक्त निर्धारित मात्रा एवं समय पर अनिवार्य रूप से प्रदाय किया जावे।

8.5.10 जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा पूरक पोषण आहार के देयक मासिक रूप से भुगतान की अनुमति हेतु जिला कलेक्टर को प्रस्तुत किए जावें।

8.5.11 जिला कार्यक्रम अधिकारी/परियोजना अधिकारी द्वारा चयनित समूह/संस्था को वास्तविक रूप से जितने हितग्राहियों हेतु आंगनवाडी केन्द्र में पोषण आहार (नाश्ता/भोजन/थर्डमील)के प्रदाय का आदेश दिया गया है, उसी मान से स्व–सहायता समूहों/संस्थाओं के देयकों का भुगतान किया जावें। किसी समूह/संस्था को आदेशित मात्रा से अधिक भुगतान पायें जाने पर जिला कार्यक्रम अधिकारी को सीधे तौर पर जिम्मेदार माना जावेगा।

8.5.12 जिला स्तर पर सांझा चूल्हा के देयकों के भुगतान के संबंध में ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाये कि किसी भी स्थिति में समूहों का भुगतान प्रत्येक पोषण आहार प्रदायित माह के आगामी माह तक हो जाये। एक माह से अधिक के विलम्ब की स्थिति में परियोजना अधिकारी/जिला कार्यक्रम अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये दोषी के विरूद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

8.7 प्रत्येक सोमवार को मैदानी अमले द्वारा यथा पर्यवेक्षक से संयुक्त संचालक स्तर तक के किए गए निरीक्षण की जानकारी कम्प्यूटर में भरी जाएगी, जिसमें पूरक पोषण आहार गतिविधि का भी विवरण रहेंगा। यह जानकारी भी बिल बनाते समय उपयोग में ली जाएगी। यहां यह ध्यान रहे कि निरीक्षणकर्ता अधिकारी वही टिप्पणी अंकित करें जो उनके द्वारा पूरक पोषण आहार पत्रक में भरी गई है।

8.8 जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रचलित व्यवस्था अनुसार जिला कलेक्टर से सक्षम स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत देयक मय समूह के बैंक खाते क्र एवं राशि के विवरण सहित कोषालय में प्रस्तुत करेगें। कोषालय से राशि स्व–सहायता समूह के खाते में सीधे जमा की जावेगी।

## 9. निगरानी एवं नियंत्रणः–

9.1 आंगनवाड़ी स्तर पर पूरक पोषण आहार व्यवस्था के कियान्वयन हेतु सभी छः दिवस का मेनू एवं मात्रा तथा स्व–सहायता समूह के नाम को आंगनवाड़ी की एक दीवार पर प्रदर्शित किया जाएगा। यह जानकारी कम–से–कम 5 x 4 sqft के खाके के अन्दर लिखी जाएगी, जिससे दूर तक देखा जा सके।

9.2 ग्राम सभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समिति के दायित्वों पोषण का विषय भी सम्मिलित है। अतः दिन प्रतिदिन की निगरानी ग्राम सभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समिति के सदस्यों द्वारा किये जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे सप्ताह में कम से कम दो या तीन बार पूरक पोषण आहार वितरण के समय उपस्थित रहकर उसकी मात्रा एवं गुणवत्ता की निगरानी करें। यथासंभव माताओं तथा बच्चों के अन्य पालक को भी प्रोत्साहित किया जाएग कि वे आहार चखकर उसकी गुणवत्ता देखें।

9.3 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रतिदिन पूरक पोषण आहार चखने के उपरांत ही भोजन वितरित करेंगी।

9.4 विकासखण्ड स्तर पर आइ.सी.डी.एस. मिशन की निगरानी हेतु विकासखड स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष अनुविभागीय अधिकारी राजस्व होंगे। यह समिति समय–समय पर पूरक पोषण आहार व्यवस्था की विकासखंड स्तर पर निगरानी करेंगी।

9.5 इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र में विकासखण्ड स्तर पर मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत दिशादर्शी एवं अनुश्रवण समिति पूर्व से ही गठित है जिसमें जनपद पंचायत की स्थाई स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास समिति के अध्यक्ष एवं परियोजना अधिकारी को सम्मिलित कर संयुक्त रूप से मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम तथा सांझा चूल्हा व्यवस्था के अंतर्गत प्रदाय किये जाने वाले भोजन की गुणवत्ता एवं नियमितता के बारे में प्रतिमाह समीक्षा करेगी। समिति की बैठक आयोजित करने की जिम्मेदारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी की होगी ।

9.6 जिला स्तर पर अटल बाल मिशन समिति द्वारा संयुक्त रूप से मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम तथा सांझा–चूल्हा व्यवस्था के अंतर्गत प्रदाय किये जाने वाले भोजन की गुणवत्ता एवं नियमितता के बारे में प्रतिमाह समीक्षा की जाएगी। समिति की बैठक आयोजित करने की जिम्मेदारी जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास की होगी।

9.7 जिला स्तर पर मध्यान्ह भोजन अंतर्गत दिशादर्शी एवं अनुश्रण समिति पूर्व से ही गठित है। इस समिति में जिला पंचायत की स्थाई स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास समिति के अध्यक्ष को विशेष आमंत्रिती के रूप में शामिल किया जावेगा। यह समिति संयुक्त रूप से मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम तथा सांझा चूल्हा व्यवस्था के अंतर्गत प्रदाय किये जाने वाले भोजन की गुणवत्ता एवं नियमितता के बारे में प्रतिमाह समीक्षा करेगी।

9.8 इसके अतिरिक्त जिला कलेक्टर तथा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा समय–समय पर निगरानी एवं नियत्रंण की कार्यवाही स्वयं अथवा अधिनस्थ से करवाई जावेगी।

9.9 कलेक्टर/महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी अथवा कलेक्टर के निर्देशानुसार खाद्य विभाग द्वारा नाश्ते एवं भोजन की रेसिपीज़ तैयार करने में उपयोग की जाने वाली खाद्य सामग्री के नमूने आवश्यकतानुसार गुणवत्ता परीक्षण हेतु लिए जा सकेंगे, जिनका परीक्षण भारत सरकार के खाद्य एवं पोषण आहार बोर्ड, नई दिल्ली की प्रयोगशाला से करवाया जा सकेगा।

9.10 स्व–सहायता समूह द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्र पर उच्च गुणवत्तायुक्त सुबह का नाश्ता एवं दोपहर का भोजन निर्धारित समय पर अनिवार्यतः प्रदाय किया जावे। आंगनवाड़ी केन्द्र में हितग्राहियों को उच्च गुणवत्ता का पोषण आहार प्रतिदिन मिले इस हेतु आंगनवाड़ी केन्द्र में हितग्राहियों की प्रतिदिन की उपस्थिति एवं नाश्ता/भोजन वितरण की निगरानी ग्राम सभा स्वास्थ्य ग्राम तदर्थ समिति के सदस्यों द्वारा प्रतिदिन अनिवार्यतः की जावेगी इस हेतु रोस्टर का निर्धारण किया जावे।

9.11 आंगनवाड़ी केन्द्रों पर स्व–सहायता समूह द्वारा प्रदाय नाश्ता एवं भोजन का प्रतिदिन पंचनामा तैयार किया जावे। पंचनामा पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, स्व–सहायता समूह के प्रतिनिधि, रसोईया, सरपंच अथवा प्रतिनिधि, पालक (माता/पिता) तथा स्कूल परिसर में आंगनवाड़ी होने पर यथसंभव प्रधानाध्यापक द्वारा नामांकित प्रतिनिधि के हस्ताक्षर कराएं।

9.12 जिला स्तर पर प्रतिमाह आंगनवाड़ी केन्द्रों में स्व–सहायता समूह द्वारा प्रदाय किये जा रहे पूरक पोषण आहार व्यवस्था की निरन्तर समीक्षा की जावे। आंगनवाड़ी केन्द्र पर नाश्ता/भोजन

गुणवत्तायुक्त निर्धारित समय पर एव मात्रा अनुसार प्रदाय किया जाना सुनिश्चित करे। मान. सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार किसी भी स्थिति में आंगनवाड़ी केन्द्रों में पूरक पोषण आहार बाधित नहीं रहना चाहिए।

9.13 राज्य शासन के निर्देशानुसार आंगनवाड़ी केन्द्रों में प्रतिदिन नाश्ता एवं भोजन की गुणवत्ता की जांच आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथा–साथ ग्राम सभा, स्वास्थ्य ग्राम तदर्थ समिति के सदस्यों एवं बच्चों की माताओं तथा अन्य पालकों के द्वारा किये जाने का प्रावधान है, वे आहार चखकर उसकी गुणवत्ता देखेंगे तथा चखने के उपरान्त ही नाश्ता/भोजन का वितरण किया जावेगा।

9.14 आंगनवाड़ी केन्द्र के समीप यदि कोई एकल बुजुर्ग गरीब महिला/पुरुष उपलब्ध हो तो उक्त व्यक्ति को भी आंगनवाड़ी केन्द्र में भोजन की गुणवत्ता नियमित रूप से सुनिश्चित करने हेतु रखा जावें तथा उन्हें पूर्ण आहार उपलब्ध कराया जावे, यदि एक से अधिक ऐसे व्यक्ति हो तो रोस्टर प्रणाली के माध्यम से अलग–अलग दिन निर्धारित किए जा सकते हैं। पोषण आहार व्यवस्था में सुधार के लिये उपरोक्तानुसार निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।

9.15 पूरक पोषण आहार व्यवस्था का सोशल ऑडिट मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही उनके साथ किया जाएगा।

9.16 पूरक पोषण आहार व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण एवं निगरानी के लिए सूचना प्रोद्यौगिकी के माध्यम से एक पारदर्शी, सरल समाधान संचालनालय द्वारा यथाशीघ्र विकसित किया जाकर कार्यक्रम की मॉनिटरिंग की जावे।

**10. अन्य व्यवस्थाः–**

10.1 जहां पूर्व से चयनित स्व सहायता समूह अच्छा कार्य कर रहे हैं, वहाँ उन्हीं के माध्यम से पोषण आहार उपलब्ध कराया जाता रहेगा, जहां इन चयनित समूहों के संबंध में अनियमितताएं इत्यादि संबंधी शिकायतें हैं, केवल उन्हीं स्थानों पर संबंधित का पक्ष सुनकर तदानुसार निर्णय कलेक्टर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा लिया जा सकेगा।

10.2 प्रदेश में आंगनवाडी केन्द्रों पर अतिकम वजन के बच्चों के परिवारों को अटल बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन के अंतर्गत सोयाबडी का प्रदाय किया जा रहा है। अतः आंगनवाडी केन्द्रों पर स्थानीय संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुये सोयाबडी के उपयोग से तैयार होने वाली विभिन्न रैसिपीज के संबंध में जागरूकता हेतु प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन सुनिश्चित किया जायें।

**11. <u>कठिनाईयों का निराकरण :–</u>**

11.1 माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आंगनवाडी केन्द्रों में पूरक पोषण आहर की निरन्तरता रखी जावे किसी भी स्थिति में पोषण आहार बाधित नही रहना चाहिए यह जिम्मेदारी जिला कार्यक्रम अधिकारी की रहेगी।

11.2 पूरक पोषण आहार वितरण में यदि कोई कठिनाई आती है तो जिला स्तर पर कठिनाईयों के निराकरण हेतु जिला कलेक्टर का निर्णय अंतिम होगा।

(पी.के.ठाकुर)
उप सचिव 12.9.18
मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास, मध्यप्रदेश

2102

पृ.क्र. / 2830 / 2018 / 50–2 / (ए.एन.) / ..... भोपाल, दिनांक 12/9 / 2018

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त, महिला एवं बाल विकास, भोपाल ।
2. आयुक्त, खाद्य विभाग, भोपाल।
3. प्रबंधक संचालक, म.प्र.स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन, पर्यावास भवन, भोपाल ।
4. अनुभाग अधिकारी, म.प्र. शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग, भोपाल (गार्ड फाईल ) ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

12-9-18

उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास,मध्यप्रदेश

परिशिष्ट–1

# पूरक पोषण कार्यक्रम

## स्व–सहायता समूह के साथ किये जाने वाले "अनुबन्ध" का प्रारूप

यह अनुबंध जिला ------- के विकास खंड ---------- की ग्राम पंचायत ---------- के राजस्व ग्राम ------- की आंगनवाड़ी क. 1 ------ 2 ------- 3 ---------- में पूरक पोषण आहार कार्यक्रम के कियान्वयन हेतु प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पक्षकार के मध्य किया जाना है।

उद्देश्यः–

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश एवं भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के पालन में आंगनवाड़ी के हितग्राहियों को शासन द्वारा निर्धारित मैन्यू अनुसार प्रति दिवस रूचिकर, निर्धारित कैलोरी व प्रोटीन युक्त उच्च गुणवत्ता का पौष्टिक एवम् ताजा पका हुआ भोजन उपलब्ध कराना ताकि :–

- आंगनवाड़ी में दर्ज हितग्राहियों की संख्या में बढ़ोत्तरी हो,
- आंगनवाड़ी में हितग्राहियों की दैनिक उपस्थिति में निरन्तरता आये,
- आंगनवाड़ी के हितग्राहियों के पोषण स्तर में सुधार हो।

उक्तानुसार उद्देश्यों की पूर्ति हेतु, आंगनवाड़ियों में पूरक पोषण कार्यक्रम के सुचारू कियान्वयन, प्रबंधन, अनुश्रवण, तथा इससे संबंधित समस्त गतिविधियों के निष्पादन तथा प्राप्त होने वाले लाभों के वितरण के लिए निम्नानुसार वर्णित पक्षों के बीच यह समझौता अनुबंध किया जा रहा हैः–

| प्रथम पक्ष | द्वितीय पक्ष | तृतीय पक्ष |
|---|---|---|
| स्व–सहायता समूह का नामः– | ग्राम पंचायत का नाम | बाल विकास परियोजना का नाम |
| ---------- | ---------- | ---------- |
| सचिव अध्यक्ष (नाम एवं हस्ताक्षर) | सचिव सरपंच (नाम एवं हस्ताक्षर) | परियोजना अधिकारी (नाम एवं हस्ताक्षर) |

**आंगनवाड़ियों का विवरण, जिनका दायित्व स्व–सहायता समूह को सौंपा गया है :**

सहायक अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग

| क्र | आंगनवाड़ियों के नाम | पता | आंगनवाड़ी में दर्ज हितग्राहियों की संख्या | साझा चूल्हा से ऑगनवाड़ी केन्द्र की दूरी |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

प्रथम पक्ष के दायित्व :– (स्व–सहायता समूह)

प्रथम पक्ष यह वादा करता है कि आंगनवाड़ियों में पूरक पोषण आहार कार्यक्रम के संदर्भ में :–

3.1 वह कार्यक्रम का कियान्वयन शासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों तथा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार समय सीमा में मेहनत और कुशलता से संपादित करेगा ।

3.2 वह प्रदत्त किये गये खाद्यान्न (गेहूँ अथवा चावल ) का उठाव उचित मूल्य की दुकान/निर्धारित कार्यालय से करेगा । खाद्यान्न के उठाव के पश्चात रसोइघर/अन्य सुरक्षित स्थान में इसके भण्डारण तथा रख–रखाव की समुचित व्यवस्था करेगा ।

3.3 वह आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/ सहायिका द्वारा अवगत कराई गई हितग्राहियों की औसत उपस्थिति के दृष्टिगत भोजन पकाने के लिए मिश्रण सामग्री तथा ईधन सामग्री के कय हेतु आवश्यकता अनुसार राशि संबंधित बैंक से आहरित करेगा/ बाल विकास परियोजना अधिकारी को प्रतिमाह देयक प्रस्तुत करेगा ।

3.4 वह भोजन पकाने के लिए आवश्यकतानुसार शुद्ध, स्वच्छ, व उच्च गुणवत्तापूर्ण मिश्रण सामग्री तथा ईधन सामग्री का कय ( अधिकतम 1 माह हेतु ) स्वतः करेगा । कय की गई सामग्री के एवज में विकेता से बिल अथवा व्हाउचर प्राप्त करेगा । सामग्री के कय में वह निम्न बातों का ध्यान रखेगा :–

- अच्छी गुणवत्ता व शुद्धता की गांरटी वाले मसालों का ही कय किया जायेगा। मसालों का कय यथासंभव मसाला उत्पादन तथा पैकेजिंग वाले स्व–सहायता समूहों से किया जायेगा ।
- स्वयं के द्वारा उत्पादित श्रेष्ठ व गुणवत्तापूर्ण मिश्रण सामग्री का उपयोग कर सकेगा ।
- बाजार में बिकने वाले खुले व खड़े नमक का कय नहीं किया जायेगा, अपितु अच्छी गुणवत्ता व शुद्धता की गांरटी वाले सीलबंद आयोडीनयुक्त नमक और यदि संभव हो तो आयोडीन + आयरन युक्त डबल फोर्टीफाईड नमक का ही कय किया जायेगा ।

सहायक अभियंता अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
भोपाल

- अच्छी गुणवत्ता व शुद्धता की गांरटी / एगमार्क वाले सीलबंद डिब्बों में मिलने वाले तेल का ही क्रय किया जायेगा।
- सब्जी बनाने के लिए ताजी व हरी, सब्जियों का उपयोग किया जायेगा।

3.5 वह आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/ सहायिका द्वारा सूचित की गई हितग्राहियों की संख्या के आधार पर शासन द्वारा निर्धारित मैन्यू अनुसार आवश्यक खाद्यान्न (गेहूँ व चावल) तथा मिश्रण सामग्री (दाल, सब्जी, मिर्च मसाले इत्यादि) का उपयोग कर प्रत्येक कार्य दिवस में भोजन पकाकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को किचिन शेड में उपलब्ध करायेगा। वह भोजन पकाने व वितरण की संपूर्ण प्रकिया के सफल नियोजन हेतु निम्न पहलुओं का विशेष ध्यान रखेगा :–

- खाद्यान्न क्रय की गई मिश्रण सामग्री तथा ईधन का समुचित सुरक्षित भण्डारण व रख रखाव करना तथा किचिन को इन्सेक्ट इत्यादि से मुक्त रखना।
- स्वच्छ एवं शुद्धता संबंधी सभी पहलुओं का ध्यान रखकर भोजन पकाना।
- कच्ची सामग्री जैसे – दाल, सब्जी, इत्यादि को धोकर साफ करना
- भोजन पकाने के स्थल तथा भोजन वितरण के स्थल तथा रसोई घर की साफ सफाई करना ।
- भोजन पकाने और वितरण के पूर्व तथा पश्चात प्रयुक्त होने वाले बर्तनों की नियमित साफ सफाई करना तथा स्वच्छता करना।

3.6 वह कार्यक्रम के क्रियान्वयन व नियोजन के संदर्भ में विभिन्न संसाधनों व इनके उपयोग का निम्नानुसार समुचित रिकार्ड व रजिस्टर संधारित करेगा :–

- उचित मूल्य की दुकान से उठाये गये/बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये, बाजार से क्रय तथा उपयोग किये गये खाद्यान्न (गेहूँ /चावल/फोर्टीफाइड आटा) की मात्रा का वितरण ।
- भोजन पकाने हेतु लागत के लिए प्राप्त राशि में से आहरित राशि तथा इस राशि के क्रय की गई सामग्री का दिनांकवार विवरण ।
- भोजन पकाने हेतु उपयोग किये गये खाद्यान्न तथा मिश्रण सामग्री तथा ईधन सामग्री का दिनांक वार विवरण ।
- भोजन पकाने पर आने वाली लागत के लिए प्राप्त राशि के उपयोग तथा उनके द्वारा की गई बचत राशि का विवरण ।
- बिल / व्हाउचर फोल्डर
- आंगनवाड़ी में उपलब्ध भोजन पकाने व वितरण के बर्तनों तथा खाद्यान्न व मिश्रण सामग्री भण्डारण के बर्तनो की पंजी तथा पोषण आहार से संबंधित उक्त अभिलेखों का संधारण आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के सहयोग से करेगा ।

3.7 वह कार्यक्रम के क्रियान्वयन के फलस्वरूप अर्जित होने वाली आय/बचत का अपने सक्रिय सदस्यों के बीच सदस्यों की सहमति से वितरण करेगा । किसी भी स्थिति में समूह के निष्क्रिय सदस्यों को इस आय/ बचत का कोई अंश नही दिया जायेगा ।

सहायक अभियंता अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग

3.8 वह कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक जन सहयोग जुटा सकेगा।

3.9 वह कार्यक्रम का क्रियान्वयन बाल विकास परियोजना के मार्गदर्शन में करेगा तथा बाल विकास परियोजना अधिकारी / पर्यवेक्षक को उसके द्वारा किये जा रहे कार्य के पर्यवेक्षण का अधिकार होगा । ऐसे पर्यवेक्षण के बाद जो सिफारिशें दी जायेंगी या जो अवलोकन किये जायेंगे या यदि कोई विवाद है तो उसका जो समाधान सुझाया जायेगा, वह उनका पालन करेगा ।

3.10 वह प्रत्येक माह की कार्यक्रम की प्रगति का प्रतिवेदन माह की 26 तारीख तक 2 प्रतियों में तैयार करेगा । 1 प्रति अपने पास रखेगा तथा 1 प्रति आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को उपलब्ध करायेगा, जो पर्यवेक्षक के माध्यम से परियोजना अधिकारी को प्राप्त होगी ।

3.11 वह निर्धारित प्रक्रिया अनुसार ऑडिट किये जाने पर समस्त अभिलेख उपलब्ध करायेगा ।

3.12 भोजन राशि / खाद्यान्न में अनियमितता सही पाये जाने पर शासन की राशि भू–राजस्व की बकाया राशि के रूप में वसूलने का अधिकार रहेगा।

**द्वितीय पक्ष के दायित्व– –(सरपंच, ग्राम पंचायत)**

द्वितीय पक्ष यह वादा करता है कि पूरक पोषण आहार कार्यक्रम के संदर्भ में –

1. वह स्व–सहायता समूह को खाद्यान्न तथा मिश्रण सामग्री वह ईधन के संधारण हेतु भोजन पकाने के लिए रसोईघर उपलब्ध करायेगा । यदि शाला में रसोईघर का निर्माण नहीं हुआ है तो वह इस हेतु ग्राम पंचायत के सहयोग से स्व–सहायता समूह को शाला में अथवा अन्यत्र यथोचित स्थान उपलब्ध करायेगा।
2. वह स्व–सहायता समूह द्वारा सम्पादित किये जा रहे कार्य के सफल नियोजन हेतु उन्हें समय–समय पर मार्गदर्शन प्रदान करेगा ।
3. वह स्व–सहायता समूह द्वारा सम्पादित किये जा रहे कार्य का नियमित पर्यवेक्षण करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन हो रहा है । इस सम्बन्ध में शासन की सलाह व अनुशंसा पर सम्यक ध्यान देगा । ऐसे पर्यवेक्षण के बाद वह जो सिफारिशें देगा या जो समाधान सुझायेगा उसका पालन सुनिश्चित करायेगा ।
4. वह कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक जनसहयोग जुटा सकेगा।
5. यदि क्रियान्वयन के संदर्भ में कोई कमी पाई जाती है तो वह तदाशय की सूचना मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी को तत्काल देगा ।
6. वह कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु नियुक्त स्व–सहायता समूह को पोषण आहार के सम्बन्ध में संधारित किये जाने वाले रिकॉर्ड व रजिस्टर को तैयार करने में सहायता करेगा ।
7. वह कार्यक्रम के क्रियान्वयन में स्व–सहायता समूह तथा शासन के मध्य समन्वय का कार्य सम्पादित करेगा ।

सहायक अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग

तृतीय पक्ष के दायित्व – (बाल विकास परियोजना अधिकारी,महिला एवं बाल विकास)

तृतीय पक्ष यह वादा करता है कि पूरक पोषण आहार कार्यकम के संदर्भ में :–

1. विभागीय दिशा निर्देशों के अनुसार स्व–सहायता समूहों से कार्य सम्पादित करायेगा।
2. वह कार्यकम का कियान्वयन नियुक्त स्व–सहायता समूह के माध्यम से शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशो तथा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार समय सीमा में मेहनत ओर कुशलता से संपादित करायेगा ।
3. वह स्व सहायता समूह को विभागीय दिशा निर्देशो अुनसार खाद्यान्न आबंटन उठाव के लिए अधिकृत करने हेतु खाद्यान्न उठाव अधिकार प्त्र संलग्न कर पत्र जारी करेगा।
4. वह स्व–सहायता समूह द्वारा संपादित किये जा रहे कार्य के सफल नियोजन हेतु उन्हें समय–समय पर मागदर्शन प्रदान करेगा ।
5. वह स्व–सहायता समूह द्वारा संपादित किये जा रहे कार्य का नियमित पर्यवेक्षण करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि गुणवत्तापूर्ण कियान्वयन हो रहा है । इस सबंध में शासन की सलाह व अनुशंसा पर सम्यक ध्यान देगा । ऐसे पर्यवेक्षण के बाद वह जो सिफारिशें देगा या जो समाधान सुझायेगा उसका पालन सुनिश्चित करायेगा । प्रत्येक माह स्व–सहायता समूह द्वारा संधारित किये जाने वाले रिकार्ड व रजिस्टर का सत्यापन करेगा ।
6. वह कार्यकम के कियान्वयन के लिए आवश्यक जनसहयोग जुटा सकेगा ।
7. आहार से संबंधित संधारित किये जाने वाले समस्त अभिलेख को तैयार करने में स्व–सहायता समूह की सहायता करेगा ।
8. कार्यकम के कियान्वयन हेतु नियुक्त स्व–सहायता समूह के पास राशि तथा खाद्यान्न की उपलब्धता संबंधी मासिक समीक्षा करेगा ।
9. आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं पर्यवेक्षकों को कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिये समय–समय पर दिशा निर्देश देगा।

| प्रथम पक्ष | द्वितीय पक्ष | तृतीय पक्ष |
|---|---|---|
| हस्ताक्षर..... | हस्ताक्षर..... | हस्ताक्षर..... |
| नाम ..... | नाम..... | नाम..... |
| दिनांक..... | दिनांक – | दिनांक..... |

सहायक अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

परिशिष्ट 1

*पूरक पोषण आहार का मेनू*

*परिशिष्ट क्रमांक–02*

1.

| ग्रामीण पोषण आहार व्यवस्था अंतर्गत 03 वर्ष से 06 वर्ष तक के बच्चों, को प्रदाय किए जा रहे पूरक पोषण आहार में विविधता के लिए साप्ताहिक सांकेतिक मेनू | | | | |
|---|---|---|---|---|
| दिन | सुबह का नाश्ता | दोपहर का भोजन | प्रोटीन (ग्राम) | कैलोरी |
| | रैसिपी | रैसिपी | | |
| सोमवार | मीठी लाप्सी | रोटी–सब्जी–दाल | 15–20 | 500 |
| मंगलवार | पोष्टिक खिचडी | खीर–पूडी,–आलु मटर/आलू चने की सब्जी | | |
| बुधवार | मीठी लाप्सी | रोटी–सब्जी–दाल | | |
| गुरूवार | नमकीन दलिया | वेज पुलाव–पकोड़े वाली कढ़ी | | |
| शुक्रवार | उपमा | रोटी–सब्जी–दाल | | |
| शनिवार | मीठी लाप्सी | रोटी–सब्जी–दाल / चावल–सांभर | | |

2.

| ग्रामीण पोषण आहार व्यवस्था अंतर्गत 06 माह से 03 वर्ष तक के बच्चों हेतु प्रति मंगलवार पूरक पोषण आहार का सांकेतिक मेनू | | | | |
|---|---|---|---|---|
| दिन | सुबह का नाश्ता | दोपहर का भोजन | प्रोटीन (ग्राम) | कैलोरी |
| | रैसिपी | रैसिपी | | |
| मंगलवार | पोष्टिक खिचडी | खीर–पूडी,–आलु मटर/आलू चने की सब्जी | 15–20 | 500 |

3.

| ग्रामीण पोषण आहार व्यवस्था अंतर्गत गर्भवती/धात्री माताओं हेतु प्रति मंगलवार पूरक पोषण आहार का सांकेतिक मेनू | | | |
|---|---|---|---|
| दिन | दोपहर का भोजन | प्रोटीन (ग्राम) | कैलोरी |
| | रैसिपी | | |
| मंगलवार | खीर–पूडी,–आलु मटर/आलू चने की सब्जी | 18–20 | 600 |

सहायक अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

## *ग्रामीण पोषण आहार व्यवस्था अंतर्गत पूरक पोषण आहार के सांकेतिक मेनू का विस्तृत विवरण*

### *प्रति दिवस नाश्ता एवम् भोजन में अवयव एवं अनुमानित मात्रा*

**प्रथम दिवस–सोमवार**

(अ) **03 से 06 वर्ष के बच्चों हेतु नाश्ता–**

| मीठी लाप्सी ( तैयार सामग्री – लगभग 100 ग्राम ) | | |
|---|---|---|
| **क्रमांक** | **कच्ची खाद्य सामग्री विवरण** | **कच्ची खाद्य सामग्री की औसत मात्रा** |
| 1 | गेहूं दलिया (गेहूं 32+3.2 प्रोसेस लास = 35.2 ग्राम) | 32 ग्राम |
| 2 | सोया | 05 ग्राम |
| 3 | मूंगफली | 05 ग्राम |
| 4 | गुड़ | 15 ग्राम |
| 5 | खाद्य तेल एगमार्क | 08 ग्राम |
| | **कुल योग–** | **65 ग्राम** |

(ब) **03 से 06 वर्ष के बच्चों हेतु भोजन–**

| रोटी–मिक्स दाल, हरी सब्जी (तैयार सामग्री –02 रोटी, 40 ग्राम दाल, 50 ग्राम सब्जी) | | |
|---|---|---|
| **क्रमांक** | **कच्ची खाद्य सामग्री विवरण** | **कच्ची खाद्य सामग्री की औसत मात्रा** |
| 1 | गेहूं आटा (गेहूं 50+5 प्रोसेस लास = 55 ग्राम) | 50 ग्राम |
| 2 | चना/तुवर दाल/मूँग दाल | 20 ग्राम |
| 3 | खाद्य तेल एगमार्क | 05 ग्राम |
| 4 | सब्जी | 40 ग्राम |
| 5 | मसाला एगमार्क एव नमक आयोडाईज्ड | 05 ग्राम |
| | **कुल योग–** | **120 ग्राम** |

सहायक अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

**द्वितीय दिवस–मंगलवार**

(अ) **03 से 06 वर्ष के बच्चों हेतु नाश्ता–**

**पौष्टिक खिचड़ी (तैयार सामग्री –लगभग 100 ग्राम)**

| क्रमांक | कच्ची खाद्य सामग्री विवरण | कच्ची खाद्य सामग्री की औसत मात्रा |
|---|---|---|
| 1 | चावल (चावल 38+3.04 प्रोसेस लॉस सहित=41.04ग्राम) | 38 ग्राम |
| 2 | मूंगदाल छिलका | 07 ग्राम |
| 3 | सोया (मिनी चंग्स/बारीक बड़ी) | 01 ग्राम |
| 4 | मूगफली | 07 ग्राम |
| 5 | खाद्य तेल एगमार्क | 05 ग्राम |
| 6 | मसाला एगमार्क एव नमक आयोडाईज्ड | 02 ग्राम |
| | **कुल योग–** | **60 ग्राम** |

(ब) **03 से 06 वर्ष के बच्चों हेतु भोजन–**

**खीर पूडी, आलू मटर/आलु चने की सब्जी (तैयार सामग्री –02 पुडी, 40 ग्राम सब्जी, 40 ग्राम खीर)**

| क्रमांक | कच्ची खाद्य सामग्री विवरण | कच्ची खाद्य सामग्री की औसत मात्रा |
|---|---|---|
| 1 | आटा (गेहूं 50 + 5 प्रोसेस लॉस सहित = 55 ग्राम) | 50 ग्राम |
| 2 | चावल (चावल 10+0.8 प्रोसेस लॉस सहित = 10.8ग्राम) | 10 ग्राम |
| 3 | आलू मटर/आलू चना | 30 ग्राम |
| 4 | दूध | 25 ग्राम |
| 5 | शक्कर | 15 ग्राम |
| 6 | खाद्य तेल एगमार्क | 20 ग्राम |
| 7 | मसाला एगमार्क एव नमक आयोडाईज्ड | 05 ग्राम |
| | **कुल योग–** | **155 ग्राम** |

**तृतीय दिवस–बुधवार**

(अ) **03 से 06 वर्ष के बच्चों हेतु नाश्ता–**

**मीठी लाप्सी (तैयार सामग्री –लगभग 100 ग्राम)**

| क्रमांक | कच्ची खाद्य सामग्री विवरण | कच्ची खाद्य सामग्री की औसत मात्रा |
|---|---|---|
| 1 | गेहूं दलिया (गेहूं 32+3.2 प्रोसेस लास त्र 35.2 ग्राम) | 32 ग्राम |
| 2 | सोया | 05 ग्राम |
| 3 | मूंगफली | 05 ग्राम |
| 4 | गुड़ | 15 ग्राम |
| 5 | खाद्य तेल एगमार्क | 08 ग्राम |
| | कुल योग– | **65 ग्राम** |

सहायक संभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन

(ब) **03 से 06 वर्ष के बच्चों हेतु भोजन–**

| रोटी–मिक्स दाल, हरी सब्जी (तैयार सामग्री –02 रोटी, 40 ग्राम दाल, 50 ग्राम सब्जी) | | |
|---|---|---|
| **क्रमांक** | **कच्ची खाद्य सामग्री विवरण** | **कच्ची खाद्य सामग्री की औसत मात्रा** |
| 1 | गेहूं आटा (गेहूं 50+5 प्रोसेस लॉस = 55 ग्राम) | 50 ग्राम |
| 2 | चना/तुवर दाल/मूँग दाल | 20 ग्राम |
| 3 | खाद्य तेल एगमार्क | 05 ग्राम |
| 4 | सब्जी | 40 ग्राम |
| 5 | मसाला एगमार्क एव नमक आयोडाईज्ड | 05 ग्राम |
| | **कुल योग–** | **120 ग्राम** |

**चतुर्थ दिवस–गुरूवार**

(अ) **03 से 06 वर्ष के बच्चों हेतु नाश्ता–**

**नमकीन दलिया (तैयार सामग्री–लगभग 100 ग्राम)**

| क्रमांक | कच्ची खाद्य सामग्री विवरण | कच्ची खाद्य सामग्री की औसत मात्रा |
|---|---|---|
| 1 | गेहूं दलिया (गेहूं 33+3.33 प्रोसेस लॉस=36.33 ग्राम) | 33 ग्राम |
| 2 | सोया | 03 ग्राम |
| 3 | मूगदाल छिलका | 05 ग्राम |
| 4 | खाद्य तेल एगमार्क | 07 ग्राम |
| 5 | मूंगफली | 02 ग्राम |
| 6 | सब्जी | 10 ग्राम |
| 7 | मसाला एगमार्क एव नमक आयोडाईज्ड | 02 ग्राम |
| | **कुल योग–** | **62 ग्राम** |

(ब) **03 से 06 वर्ष के बच्चों हेतु भोजन–**

**वेज पुलाव–पकौड़े वाली कढ़ी (तैयार सामग्री– वेज पुलाव 120 ग्राम, कढ़ी 50 ग्राम)**

| क्रमांक | कच्ची खाद्य सामग्री विवरण | कच्ची खाद्य सामग्री की औसत मात्रा |
|---|---|---|
| 1 | चावल (चावल 60+4.8 प्रोसेस लॉस = 64.8 ग्राम) | 60 ग्राम |
| 2 | बेसन | 10 ग्राम |
| 3 | सोया | 08 ग्राम |
| 4 | खाद्य तेल एगमार्क | 15 ग्राम |
| 5 | सब्जी (आलू नहीं) | 05 ग्राम |
| 6 | दही | 05 ग्राम |
| 7 | मसाला एगमार्क एव नमक आयोडाईज्ड | 05 ग्राम |
| | कुल योग– | 108 ग्राम |

सहायक अनुसंधान अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग

पाचवां दिवस–शुक्रवार

(अ) **03 से 06 वर्ष के बच्चों हेतु नाश्ता–**

| उपमा – (तैयार सामग्री–लगभग 80 ग्राम) | | |
|---|---|---|
| क्रमांक | कच्ची खाद्य सामग्री विवरण | कच्ची खाद्य सामग्री की औसत मात्रा |
| 1 | सिका आटा (गेहूं 35+3.5 प्रोसेस लास=38.5 ग्राम) | 35 ग्राम |
| 2 | चना दाल सिकी हुई | 04 ग्राम |
| 3 | सोया | 04 ग्राम |
| 4 | मूंगफली | 05 ग्राम |
| 5 | खाद्य तेल एगमार्क | 06 ग्राम |
| 6 | मसाला एगमार्क एव नमक आयोडाईज्ड | 03 ग्राम |
| | कुल योग– | **57 ग्राम** |

(ब) **03 से 06 वर्ष के बच्चों हेतु भोजन–**

| रोटी–मिक्स दाल, हरी सब्जी (तैयार सामग्री –02 रोटी, 40 ग्राम दाल, 50 ग्राम सब्जी) | | |
|---|---|---|
| क्रमांक | कच्ची खाद्य सामग्री विवरण | कच्ची खाद्य सामग्री की औसत मात्रा |
| 1 | गेहूं आटा (गेहूं 50+5 प्रोसेस लास त्र 55 ग्राम) | 50 ग्राम |
| 2 | चना/तुवर दाल/मूँग दाल | 20 ग्राम |
| 3 | खाद्य तेल एगमार्क | 05 ग्राम |
| 4 | सब्जी | 40 ग्राम |
| 5 | मसाला एगमार्क एव नमक आयोडाईज्ड | 05 ग्राम |
| | कुल योग– | **120 ग्राम** |

छटवां दिवस–शनिवार

(अ) **03 से 06 वर्ष के बच्चों हेतु नाश्ता–**

**मीठी लाप्सी (तैयार सामग्री–लगभग 100 ग्राम)**

| क्रमांक | कच्ची खाद्य सामग्री विवरण | कच्ची खाद्य सामग्री की औसत मात्रा |
|---|---|---|
| 1 | गेहूं दलिया (गेहूं 32+3.2 प्रोसेस लास=35.2 ग्राम) | 32 ग्राम |
| 2 | सोया | 05 ग्राम |
| 3 | मूंगफली | 05 ग्राम |
| 4 | गुड़ | 15 ग्राम |
| 5 | खाद्य तेल एगमार्क | 08 ग्राम |
| | कुल योग– | **65 ग्राम** |

सहायक अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

(ब) **03 से 06 वर्ष के बच्चों हेतु भोजन–**

| रोटी–मिक्स दाल, हरी सब्जी (तैयार सामग्री –02 रोटी, 40 ग्राम दाल, 50 ग्राम सब्जी) | | |
|---|---|---|
| **क्रमांक** | **कच्ची खाद्य सामग्री विवरण** | **कच्ची खाद्य सामग्री की औसत मात्रा** |
| 1 | गेहूं आटा (गेहूं 50+5 प्रोसेस लास = 55 ग्राम) | 50 ग्राम |
| 2 | चना/तुवर दाल/मूँग दाल | 20 ग्राम |
| 3 | खाद्य तेल एगमार्क | 05 ग्राम |
| 4 | सब्जी | 40 ग्राम |
| 5 | मसाला एगमार्क एव नमक आयोडाईज्ड | 05 ग्राम |
| | **कुल योग–** | **120 ग्राम** |

**अथवा**

(ब) **03 से 06 वर्ष के बच्चों हेतु भोजन–**

**चावल सांभर (तैयार सामग्री –लगभग 100 ग्राम चावल व 60–75 ग्राम सांभर)**

| **क्रमांक** | **कच्ची खाद्य सामग्री विवरण** | **कच्ची खाद्य सामग्री की औसत मात्रा** |
|---|---|---|
| 1 | चावल (चावल 47+3.76 प्रोसेस लास=50.76 ग्राम) | 47 ग्राम |
| 2 | तुवर दाल | 15 ग्राम |
| 3 | सब्जी–लोकी, गिलकी, सूरजना फली आदि हरी सब्जी | 20 ग्राम |
| 4 | सोया | 05 ग्राम |
| 5 | मसाला एगमार्क एव नमक आयोडाईज्ड | 03 ग्राम |
| 6 | खाद्य तेल एगमार्क | 10 ग्राम |
| | **कुल योग–** | **100 ग्राम** |

***नाश्ते के अन्य विकल्पः–***

**विकल्प–01**

**सत्तू – (तैयार सामग्री –लगभग 50 ग्राम)**

| **क्रमांक** | **कच्ची खाद्य सामग्री विवरण** | **कच्ची खाद्य सामग्री की औसत मात्रा** |
|---|---|---|
| 1 | गेहूँ आटा रोस्टेड (गेहूं 12+1.2 प्रोसेस लास=13.2 ग्राम) | 12 ग्राम |
| 2 | जौ | 2.5 ग्राम |
| 3 | मुंगफली | 06 ग्राम |
| 4 | सोया | 04 ग्राम |
| 5 | चना दाल पुटीना | 7.5 ग्राम |
| 6 | चावल (चावल 5+0.4 प्रोसेस लास त्र 5.4 ग्राम) | 05 ग्राम |
| 7 | शक्कर | 11.5 ग्राम |
| 8 | खाद्य तेल एगमार्क | 1.5 ग्राम |
| | **कुल योग –** | **50 ग्राम** |

सहायक आयुक्त आयुक्त
मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग

- गेहूँ एवं चावल बी पी एल दर पर शासन द्वारा प्रदाय किया जावेगा।
- नाश्ते में कम से कम 06 ग्राम प्रोटीन एवं 200 कैलोरी प्रदाय की जावे।

**विकल्प–02**

**पोष्टिक आटा बेसन लडडू चूरा – (तैयार सामग्री –लगभग 50 ग्राम)**

| क्रमांक | कच्ची खाद्य सामग्री विवरण | कच्ची खाद्य सामग्री की औसत मात्रा |
|---|---|---|
| 1 | गेहूँ आटा रोस्टेड (गेहूँ 25.5+2.55 प्रोसेस लास=27.55 ग्राम) | 25.5 ग्राम |
| 2 | बेसन | 05 ग्राम |
| 3 | सोया | 02 ग्राम |
| 4 | खाद्य तेल एगमार्क | 05 ग्राम |
| 5 | शक्कर | 10 ग्राम |
| 6 | मिल्क पाउडर | 2.5 ग्राम |
| | **कुल योग –** | **50 ग्राम** |

- गेहूं एवं चावल बी पी एल दर पर शासन द्वारा प्रदाय किया जावेगा।
- नाश्ते में कम से कम 06 ग्राम प्रोटीन एवं 200 कैलोरी प्रदाय की जावे।

**विकल्प–03**

**गेहूं मूंगफली चना चक्की चूरा – (तैयार सामग्री–लगभग 50 ग्राम )**

| क्रमांक | कच्ची खाद्य सामग्री विवरण | कच्ची खाद्य सामग्री की औसत मात्रा |
|---|---|---|
| 1 | गेहूं आटा रोस्टेड (गेहूं 24.5+2.45 प्रोसेस लास=26.95 ग्राम) | 24.5 ग्राम |
| 2 | सोया | 2.5 ग्राम |
| 3 | चना दाल पुटीना | 2.5 ग्राम |
| 4 | मिल्क पावडर | 1.5 ग्राम |
| 5 | खाद्य तेल एगमार्क | 05 ग्राम |
| 6 | शक्कर | 09 ग्राम |
| 7 | मूंगफली | 05 ग्राम |
| | **कुल योग –** | **50 ग्राम** |

- गेहूँ एवं चावल बी पी एल दर पर शासन द्वारा प्रदाय किया जावेगा।
- नाश्ते में कम से कम 06 ग्राम प्रोटीन एवं 200 कैलोरी प्रदाय की जावे।

**सहायक अनुभाग अधिकारी**
**मध्यप्रदेश शासन**
**महिला एवं बाल विकास विभाग**
**मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल**

*भोजन के अन्य विकल्प :–*

विकल्प–01

हलीमा / खिचड़ा (तरह–तरह की दालों / अनाज / सोयाबड़ी युक्त)– (तैयार सामग्री लगभग 150 ग्राम)

| क्रमांक | कच्ची खाद्य सामग्री विवरण | कच्ची खाद्य सामग्री की औसत मात्रा |
|---|---|---|
| 1 | गेहूं दलिया (गेहू 30+3 प्रोसेस लास= 33 ग्राम) | 30 ग्राम |
| 2 | चावल (चावल 17+1.36 प्रोसेस लास= 18.36 ग्राम) | 17 ग्राम |
| 3 | ज्वार | 05 ग्राम |
| 4 | मक्का | 02 ग्राम |
| 5 | मूंग दाल छिलका | 05 ग्राम |
| 6 | तुवर दाल | 05 ग्राम |
| 7 | चनादाल | 05 ग्राम |
| 8 | मसूर दाल | 05 ग्राम |
| 9 | उडद दाल सफेद | 03 ग्राम |
| 10 | सोयाबडी | 05 ग्राम |
| 11 | खाद्य तेल एगमार्क | 05 ग्राम |
| 12 | मसाला एगमार्क एव नमक आयोडाईज्ड | 05 ग्राम |
| | कुल योग– | **92 ग्राम** |

विकल्प–02

इडली सांभर – ( तैयार सामग्री– लगभग 90–100 ग्राम सांभर व 50 ग्राम इडली )

| क्रमांक | कच्ची खाद्य सामग्री विवरण | कच्ची खाद्य सामग्री की औसत मात्रा |
|---|---|---|
| 1 | चावल (चावल 45+4.5 प्रोसेस लास = 49.5 ग्राम) | 45 ग्राम |
| 2 | सफेद उड़द दाल | 09 ग्राम |
| 3 | तुवर दाल | 08 ग्राम |
| 4 | सब्जी–लोकी, गिलकी, सूरजना फली आदि हरी सब्जी | 15 ग्राम |
| 5 | सोया | 05 ग्राम |
| 6 | दही | 05 ग्राम |
| 7 | मसाला एगमार्क एव नमक आयोडाईज्ड | 03 ग्राम |
| 8 | खाद्य तेल एगमार्क | 10 ग्राम |
| | कुल योग– | **100 ग्राम** |

सहायक अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

# आंगनबाड़ी केन्द्र के लिये पूरक पोषण आहार प्रदाय हेतु भोजन पत्रक

परिशिष्ट –04

जिले का नाम..... परियोजना का नाम..... सेक्टर का नाम.....

माह..... वर्ष ..... आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम.....

स्व–सहायता समूह / संस्था का नाम.....

| क्र. | मद | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03–06 वर्ष के बच्चें के नाश्ता एवं दोपहर का पूरक पोषण आहार | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | सुबह का नाश्ता | समय | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | मात्रा | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | गुणवत्ता | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | मील अप्राप्त | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | दोपहर का भोजन | समय | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | मात्रा | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | गुणवत्ता | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | मील अप्राप्त | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | अतिकम वजन के बच्चों को थर्ड मील हेतु | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | थर्ड मील के रूप में दोहराने हेतु | समय | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | मात्रा | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | गुणवत्ता | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | मील अप्राप्त | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | मंगल दिवस को गर्भवती एवं धात्री महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं को भोजन हेतु | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | दोपहर का भोजन | समय | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | मात्रा | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | गुणवत्ता | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | मील अप्राप्त | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | मंगल दिवस को 06 माह से 03 वर्ष तक के शिशुओं हेतु | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | दोपहर भोजन जो मुलायम एवं सुपाच्य हो | समय | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | मात्रा | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | गुणवत्ता | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | मील अप्राप्त | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | त्रैमास में प्राप्त गेहूँ | | गत माह तक उपयोग किया गया गेहूँ | | इस माह में उपयोग गेहूँ | | कुल गेहूँ शेष |
| | त्रैमास में प्राप्त चावल | | गत माह तक उपयोग किया गया चावल | | इस माह में उपयोग चावल | | कुल चावल शेष |

सहायक अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

हस्ताक्षर.....
नाम.....
अध्यक्ष / सचिव , स्व–सहायता समूह /